न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र 64/2020

प्रार्थी–

1. बेनीगोपाल जाखड़ पुत्र रामनिवास
   जाति जाट निवासी–दुगस्ताऊ तहसील–जायल जिला–नागौर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थीया की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 31.03.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.04.2018 को मेघाराम पुत्र पूर्णाराम जाति–जाट निवासी–दुगस्ताऊ से खसरा नं. 1057 रकबा 0.06 बीघा में से 0.03 बीघा को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद किया था। उक्त जमीन खरीदने के बाद प्रार्थी के नाम से खाता संख्या 486 खसरा नं 2196/1057 रकबा 0.0243 हैक्टैयर आवासीय प्रयोजनार्थ के रूप में खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का नाम बेणीगोपाल पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी–दुगस्ताऊ तहसील जायल दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बेनीगोपाल पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स में अंकित है। प्रार्थी को उक्त दोनो असमान नाम के कारण सरकारी सहायता वगैरह प्राप्त नहीं हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दुगस्ताऊ जायल के खाता संख्या 486 खसरा नं. 2196/1057 में प्रार्थी का नाम बेणीगोपाल के स्थान पर बेनीगोपाल जाखड़ शुद्ध किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावे।

31.03.2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी राजपैरोकार ने रिपोर्ट/जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2020/3239 दिनांक 27.10.2020 मय हल्का पटवारी दुगस्ताऊ की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि मौजा दुगस्ताऊ के खसरा नं. 2196/1057 के खातेदार बेनीगोपाल पुत्र रामनिवास द्वारा खातेदारी में स्वयं का नाम बेणीगोपाल के स्थान पर बेनीगोपाल जाखड़ पुत्र रामनिवास करवाने हेतु के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी ताईद में ग्राम दुगस्ताउ के आम गुवाड़ में पुछताछ तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात् के जांच से प्रार्थी का सही नाम बेनीगोपाल पुत्र रामनिवास होना अपनी रिपोर्ट में बताया है।

प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी की रिपोर्ट, नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 486, मतदाता पहचान पत्र पत्र की प्रति, आधार कार्ड एवं मुतदाविया भूमि खरीदसुदा होने बाबत् रजिस्ट्री, एवं मुतदाविया खेताय की भूमि का रूपान्तरण आदेश की प्रति प्रस्तुत की, साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी का सहीनाम बेनीगोपाल जाखड़ पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी दुगस्ताऊ है। जबकि ग्राम दुगस्ताऊ तहसील–जायल के खसरा नं. 2196/1057 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम बेणीगोपाल पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी दुगस्ताऊ तहसील–जायल अंकित है। जबकि प्रार्थी बेनीगोपाल जाखड तथा बेणीगोपाल दोनो एक ही व्यक्ति है केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बेनीगोपाल के स्थान पर बेणीगोपाल दर्ज हो गया। जिसकी ताईद तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज से होती है। इस प्रकार ग्राम दुगस्ताऊ तहसील–जायल की खातेदारी खसरा नं. 2196/1057 में प्रार्थी का सही नाम बेनीगोपाल जाखड़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 64/2020

बेनीगोपाल जाखड़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम दुगस्ताऊ तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 486 सम्वत् 2073-76 में प्रार्थी का नाम बेणीगोपाल पुत्र रामनिवास जाति-जाट सा. देह खातेदार है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि है जिसकी ताईद संलग्न पंजीकृत दस्तावेज (रजिस्ट्री दिनांक 30.11.2018) की छायाप्रति से होती है, जिसमें प्रार्थी का नाम बैचान समय से बेणीगोपाल दर्ज होने की पुष्टि होती है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अर्थात खसरा नं. 2196/1057 सक्षम अधिकारी तहसीलदार जायल द्वारा आदेशांक : राजस्व/ग्रा.क्षे.संप./2020/183 दिनांक 20.04.2020 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है, जिसका नामान्तरकरण भी सक्षम स्तर पर स्वीकृत हो चुका है। जिसकी ताईद नकल जमाबंदी के अवलोकन से होती है।

अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत कवर नहीं होने तथा प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में श्रवणयोग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर एक्ट खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-: : **आदेश** : :-

यत् प्रार्थना पत्र हाजा में प्रार्थी नाम सही एवं परिवर्तित करवाना चाहता है, जबकि यह खरीद सुदा सम्पति है। साथ ही तहसीलदार जायल द्वारा जारी आदेश से सम्परिवर्तीत भूमि है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत कवर नहीं होने तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सम्परिवर्तीत भूमि होने से न्यायालय क्षेत्राधिकार में श्रवण योग्य नहीं के कारण खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

31/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner